



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार- 249404

संख्या: 28/80/05/डी0ई0(प्रधानाचार्य)(मा0शि0)/सेवा-1/2023-2024

दिनांक :: 08 मई, 2024

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या :A-3/DE(Principal)(मा0शि0)/S-1/2024, दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से विज्ञापित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, रा0इ0का0/रा0बा0इ0का0 सीमित विभागीय परीक्षा- 2024 हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

2. प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों एवं बी0एड0 की उपाधि धारित न करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विभिन्न रिट याचिकाएं योजित की गई है। उक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित अंतरिम आदेशों तथा रिट याचिका संख्या 150 (WPMB) ऑफ 2024 में दिनांक 03.05.2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके एवं बी0एड0 की उपाधि धारित न करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. तदक्रम में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके एवं बी0एड0 की उपाधि धारित न करने वाले समस्त अभ्यर्थियों सहित विज्ञापन में उल्लिखित अर्हता धारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों हेतु प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने तथा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मई, 2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक) तक विस्तारित की जाती है। अभ्यर्थीगण द्वारा दिनांक 09.05.2024 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

4. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों/याचीगण द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

5. 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों एवं बी0एड0 की उपाधि धारित न करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम उपरोक्त विषयक मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं के अधीन रहेगा।

6. विज्ञापन की अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। अभ्यर्थीगण आवेदन किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन दिनांक 11.03.2024 का अवलोकन अवश्य करें।

--Sd/--

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।